COMMSCOPE®

विधायी

नीति का नाम:	भ्रष्टाचार-रोधी नीति
नीति संख्या:	LEGL.POL.102
नीति अनुभाग:	क़ानूनी विभाग
नीति के स्वामी:	वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महा परामर्शदाता
प्रभावी तिथि:	12/16/2022
संस्करण संख्या:	संस्करण 2.0
पिछला संशोधन:	12/16/2022
स्थान:	home.commscope.com

I. प्रयोजन

CommScope Holding Company Inc. की आचारनीति एवं कारोबारी आचार संहिता की अपेक्षा है कि CommScope तथा उसकी सहायक एवं संबद्ध कंपनियों (सामूहिक रूप से "CommScope" अथवा "कंपनी") के सभी निदेशक, अधिकारी एवं कर्मचारी लागू सभी कानूनों का अनुपालन करें, जिनमें वे भी शामिल हैं जो भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का निषेध करते हैं, जैसे अमरीकी विदेशी भ्रष्ट प्रथाएं अधिनियम (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) ("FCPA"), यू.के. रिश्वतखोरी अधिनियम (U.K. Bribery Act) ("UKBA"), तथा उन राष्ट्रों के भ्रष्टाचार-रोधी कानून, जिनमें CommScope अपना कारोबार करता है। हालांकि कंपनी के वैश्विक प्रचालनों को नियंत्रित करने वाले कई भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों पर अमल करना जटिल हो सकता है, मगर केंद्रीय प्रयोजन बिलकुल सरल है: ऐसी कारपोरेट संस्थाओं तथा व्यक्तियों को दंड देना, जो कारोबार हासिल करने अथवा कायम रखने के लिए रिश्वतखोरी या दूसरे भ्रष्ट कार्यों में संलग्न होते हैं। इन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा यहां तक कि अनैतिक आचरण के आभास तक से बचने के लिए, CommScope एवं इसकी सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के सभी निदेशकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कंपनी की ओर से काम करने वाले तीसरे पक्षकारों को इस भ्रष्टाचार-रोधी नीति (इस "नीति) का अनुपालन जरूर करना चाहिए।

यह नीति व्यापक अपेक्षाओं की एक श्रृंखला लागू करती है:

(1) इस नीति के दायरे में आने वाले व्यक्ति सरकारी अधिकारियों (नीचे परिभाषित) समेत किसी भी व्यक्ति को अनुचित तरीके से कारोबार हासिल करने अथवा कायम रखने या अनुचित कारोबारी लाभ सुरक्षित करने के लिए किसी भी कीमत की चीज़ (नीचे परिभाषित) प्रदान नहीं कर सकते, उसका वादा नहीं कर सकते अथवा पेशकश नहीं कर सकते।

(2) इस नीति के दायरे में आने वाले व्यक्ति, इस नीति अथवा कंपनी की किसी दूसरी नीति जिसमें CommScope की आचारनीति एवं कारोबारी आचार संहिता शामिल है लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के उल्लंघन में कोई कीमती चीज़ स्वीकार नहीं कर सकते।

(3) चूँकि इस कंपनी की ओर से काम करने वाले तृतीय पक्षकारों के भ्रष्ट आचरण के लिए CommScope को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इसलिए CommScope केवल उन पार्टियों से भागीदारी करेगा, जो नैतिक एवं वैध कारोबारी प्रथाओं के प्रति वचनबद्ध हैं।

(4) इस कंपनी की आचारनीति एवं कारोबारी आचार संहिता तथा इस नीति के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि CommScope सटीक बहीखाते एवं अभिलेख बनाए रखता है, जो दूसरी बातों के अतिरिक्त, कंपनी की निधियों के व्यय का सही विवरण देते हों।

CommScope एवं उसकी सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के सभी निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इस नीति के हर प्रावधान को पढ़ना, समझना एवं उसका अनुपालन करना चाहिए। यदि इस नीति के बारे में किसी भी समय आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया अपने पर्यवेक्षक अथवा विधायी विभाग (Legal Department) के वकील से संपर्क करें।

II. दायरा

यह CommScope के सभी अधिकारियों, निदेशकों एवं कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी दोनों) तथा इस कंपनी की सभी सहायक एवं संबद्ध कंपनियों पर लागू होता है, भले ही नागरिकता या रोजगार के स्थान कुछ भी हों (सामूहिक रूप से "कर्मचारी")। इस नीति के सामान्य सिद्धांत एवं निषेध सभी एजेंटों, वितरकों, सलाहकारों तथा CommScope की ओर से काम करने वाले किसी भी अन्य तीसरे पक्षकार (सामूहिक रूप से "प्रतिनिधियों") पर लागू होते हैं, भले ही उनकी नागरिकता या जहां वे कारोबार करते हों वो कुछ भी हो।

CommScope मानता है कि इसके कर्मचारी तथा प्रतिनिधि कई देशों के नागरिक हैं तथा इसके प्रचालन विभिन्न प्रकार के कानूनों, रीति-रिवाजों एवं संस्कृतियों के अधीन हैं। यथा उपयुक्त, CommScope का विधायी विभाग (Legal Department) स्थानीय कानूनों या परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट भ्रष्टाचार-रोधी दिशानिर्देश जारी कर सकता है। वे दिशानिर्देश हमेशा कम से कम उतने ही कठोर होंगे, जितने इस नीति में निहित न्यूनतम मानक हैं।

III. परिभाषाएं

"कीमती चीज़": कोई "कीमती चीज़" वह कोई भी चीज़ है जो प्राप्तकर्ता को कीमती लगे, जिसमें दूसरी चीज़ों के अतिरिक्त, नकदी, उपहार, उपहार कार्ड, CommScope के लोगो वाली चीज़ें, भोजन, मनोरंजन (उदाहरण के लिए संगीत कार्यक्रम अथवा खेल आयोजनों के लिए टिकट), यात्रा, आवास, परिवहन, कर्ज, संपत्ति अथवा उपकरण का प्रयोग, धर्मार्थ चंदे, राजनीतिक चंदे तथा नौकरी या इंटर्नशिप की पेशकशें शामिल हैं।

"सरकारी अधिकारी": कोई "सरकारी अधिकारी" संघीय, राज्य, प्रांतीय, काउंटी, या नगरपालिका सरकारों अथवा उसके किसी विभाग या एजेंसी का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी; किसी सरकार के पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व वाली कंपनी या कारोबार ("राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम") का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी; सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संगठन (जैसे विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र) अथवा स्थानीय सरकारी संगठनों का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी; एवं

कोई विदेशी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, अथवा अधिकारी होता है। रैंक या स्थिति की परवाह किए बिना, सरकारी अधिकारियों में सरकार के हर रैंक के अधिकारी शामिल होते हैं।

IV. रिश्वतखोरी की मनाही है

किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि, निम्नलिखित के लिए किसी कीमती चीज़ का प्रदान, प्रस्ताव, उसे प्राधिकृत या उसका वादा नहीं करेगा:

1. "सरकारी अधिकारी" (या किसी सरकारी अधिकारी के अनुरोध या सहमति अथवा स्वीकृति पर कोई तीसरा पक्षकार) समेत कोई भी व्यक्ति, कारोबार को अनुचित तरीके से हासिल करने या कायम रखने अथवा कारोबार करने में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए; अनुचित तरीके से कार्य करने के लिए प्राप्तकर्ता को प्रेरित करने के लिए; अथवा यह जानते या यकीन करते हुए कि प्राप्तकर्ता को रोजगार दायित्वों या अन्यथा कारणों से कीमती चीज़ प्राप्त करने की अनुमति नहीं है; अथवा

2. कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए भी या इस संभावना से अवगत होते हुए कि अमुक व्यक्ति अनुचित तरीके से कारोबार हासिल करने या कायम रखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कीमती चीज़ प्रदान करेगा, पेशकश करेगा, अथवा उसका वादा करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कारोबारी कार्यों को अनुचित तरीके से करने के लिए राजी करेगा, कोई अनुचित कारोबारी लाभ सुरक्षित करेगा, या किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से कारोबार निदेशित करेगा, या यह जानते हुए भी कि इस पेशकश, वादे, या कीमती चीज़ के अंतिम प्राप्तकर्ता को इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। आसान शब्दों, कर्मचारी एवं प्रतिनिधि ऐसे कामों को करने के लिए तीसरे पक्षकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन्हें इस नीति के तहत उन्हें खुद करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

अनुचित भुगतान करने अथवा पेशकश करने के लिए जानबूझकर अवहेलना करना या जानबूझकर अनदेखी करना या अनजान होना इस नीति का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, इन निषेधों का कोई "नगण्य" अपवाद नहीं है।

किसी सरकारी अधिकारी या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए उचित एवं सदाशयी खर्चों के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है, मगर तभी, जब CommScope के उत्पादों या सेवाओं के सीधे प्रचार, प्रदर्शन, या स्पष्टीकरण अथवा किसी लिखित अनुबंध के अमल या निष्पादन से संबंधित हो।

V. "सुविधाकारी" या "ग्रीज़" भुगतान की मनाही है

दूसरे भुगतानों के साथ-साथ, यह नीति सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित कार्यों के लिए "सुविधाकारी" या "ग्रीज़" भुगतानों को विशेष रूप से प्रतिबंधित करती है। सुविधाकारी अथवा ग्रीज़ भुगतान को अमूमन सरकारी अधिकारियों को नियमित सरकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ऐसे गैर-विवेकाधीन कार्य शामिल होते हैं,

जैसे वीजा का प्रसंस्करण, लाइसेंस एवं परमिट प्राप्त करना, उपयोगिताओं की आपूर्ति करना, अथवा पुलिस सुरक्षा प्रदान करना।

अगर कोई कर्मचारी अपने स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के आसन्न खतरे के कारण ऐसा भुगतान करने को मजबूर महसूस करे, तो उस कर्मचारी को तुरंत ऐसे भुगतान एवं घटना संबंधी सभी संगत विवरणों को घटना के बाद यथा शीघ्र विधायी विभाग (Legal Department) के वकील अथवा महा परामर्शदाता (General Counsel) को तुरंत सूचित करना चाहिए। CommScope अपनी बहियों एवं अभिलेखों में ऐसे भुगतानों को सटीक रूप से दर्शाएगा।

VI. उपहार, कारोबारी भोजन, एवं मेजबानी

CommScope की ओर से किसी भी व्यक्ति को पेश सभी उपहार, कारोबारी भोजन एवं मेजबानी मूल्य में तर्कसंगत होने चाहिए, स्थानीय कानून के तहत अनुमत होने चाहिए, कंपनी की कारपोरेट एवं स्थानीय नीतियों के अनुरूप होने चाहिए, तथा CommScope के उत्पादों अथवा सेवाओं के प्रचार, स्पष्टीकरण या प्रदर्शन से संबंधित होने चाहिए। ऐसे व्यय जिनसे अनुपयुक्तता का आभास भी हो, वे इस नीति का उल्लंघन कर सकते हैं।

उपहार, कारोबारी भोजन, आतिथ्य देने, तथा सरकारी अधिकारियों की मेज़बानी करने से CommScope को अतिरिक्त भ्रष्टाचार का जोखिम हो जाता है। यह सुनिश्चित करने में अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि सरकारी अधिकारियों को जो पेशकश की जा रही हो, वह पूर्ववर्ती पैराग्राफ में व्यक्त सिद्धांतों के अनुरूप हो। किसी सरकारी अधिकारी को कोई उपहार, कारोबारी भोजन, या दूसरी मेजबानी देने से पहले समुचित क्षेत्रीय कानूनी प्रतिनिधि से परामर्श किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी सरकारी अधिकारी को CommScope सुविधा पर जाने अथवा CommScope के उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने या प्रदर्शित करने वाले किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा एवं दूसरे संबंधित खर्चों के भुगतान की पेशकश करने से पहले समुचित क्षेत्रीय कानूनी प्रतिनिधि से लिखित में पूर्व-अनुमोदन अपेक्षित है।

VII. धर्मार्थ चंदे

CommScope उन समुदायों में यकीन करता है तथा उसमें योगदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिनमें यह कारोबार करता है, तथा इस प्रकार स्थानीय एवं विदेशी धर्मार्थ संस्थाओं को तर्कसंगत दान देने की अनुमति देता है। यद्यपि, सीधे भुगतान अथवा उपहार, लागू भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं, उसी प्रकार धर्मार्थ चंदे भी कर सकते हैं यदि उन्हें किसी सरकारी अधिकारी या किसी दूसरे व्यक्ति को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए किया गया हो। इसलिए, CommScope के कर्मचारी CommScope की ओर से धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए तथा CommScope के प्राधिकरणों की अनुसूची एवं कंपनी की धर्मार्थ चंदा नीति के अनुसार केवल सदाशयी धर्मार्थ संस्थाओं को चंदा दे सकते हैं। समुचित होने पर, CommScope इस बात की पुष्टि करेगा कि CommScope की निधियों का प्रस्तावित प्राप्तकर्ता सचमुच एक सदाशयी दान है तथा यह कि इन निधियों का इस्तेमाल केवल धर्मार्थ प्रयोजनों से किया जाएगा।

VIII. प्रायोजन

कतिपय स्थितियों में, तृतीय पक्षकारों द्वारा आयोजित, समन्वित, या समर्थित कार्यक्रमों या गतिविधियों को CommScope प्रायोजित कर सकता है। इस नीति के प्रयोजनों के लिए, प्रायोजन में CommScope ब्रांड का विज्ञापन करने के अवसर के एवज में किसी तीसरे पक्षकार द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम के लिए CommScope द्वारा धन अथवा चीज़ के रूप में कोई योगदान शामिल है, उदाहरण के लिए, CommScope का लोगो प्रदर्शित करना अथवा समारोह के दौरान CommScope का अन्यथा प्रचार करना। सभी प्रायोजन कंपनी की कारपोरेट एवं स्थानीय नीतियों के अनुसार किए जाने चाहिए, जिसमें प्राधिकरणों की अनुसूची, जैसा उचित हो, शामिल है।

IX. राजनीतिक चंदे

CommScope की यह नीति है कि **किसी भी परिस्थिति** में राजनीतिक दलों को राजनीतिक चंदा देने के लिए CommScope की निधियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, भले ही ऐसे चंदे को लिखित स्थानीय कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।

कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानीय कानून के अनुरूप राजनीतिक दलों और/अथवा उम्मीदवारों को स्वैच्छिक रूप से निजी चंदे दे सकते हैं, अपने समय में तथा अपने खर्च पर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, तथा विधायी अथवा राजनीतिक मामलों पर अपने निजी विचार व्यक्त कर सकते हैं। एक नियम के रूप में, प्रवासी कर्मचारियों को, विदेशों में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने से बचना चाहिए।

X. निष्क्रिय भ्रष्टाचार की मनाही है

जिस तरह से CommScope की नीतियां अनुचित प्रयोजन से कीमती चीज़ देने पर रोक लगाती हैं, उसी तरह CommScope भी "निष्क्रिय भ्रष्टाचार" को प्रतिबंधित करता है, जिसे अमूमन किसी कीमती चीज़ की अनुचित प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। CommScope के कर्मचारियों तथा इस कंपनी की ओर से सेवाएं देने वाले दूसरे सभी लोगों को CommScope की आचारनीति एवं कारोबारी आचार संहिता के उल्लंघन में अथवा कंपनी से संगत गतिविधि या कार्य के प्राप्तकर्ता या किसी तीसरे पक्षकार के अनुचित निष्पादन के संबंध में कोई कीमती चीज़ स्वीकार, प्राप्त या स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए या प्राप्त नहीं करना चाहिए।

XI. तृतीय पक्षकार सम्यक तत्परता प्रक्रियाएं

किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को CommScope की ओर से प्रतिनिधित्व करने या कार्य करने के लिए तब तक प्राधिकृत नहीं किया जा सकता, जब तक उस व्यक्ति या संस्था की समीक्षा नहीं की जाती, अनुमोदन नहीं किया जाता तथा CommScope के साथ लिखित समझौते से बनाए नहीं रखा जाता। जैसा कि CommScope की तृतीय पक्षकार बिजनेस एसोसिएट अवधारण नीति (Third-Party Business Associate Retention Policy) में विस्तार से बताया गया है, किसी बिक्री एजेंट, परामर्शदाता, पुनर्विक्रेता, वितरक, अथवा CommScope की ओर से काम करने वाले किसी अन्य तीसरे पक्षकार के प्रतिनिधि से कोई समझौता करने से पहले, संभावित प्रतिनिधि की प्रतिष्ठा, लाभकारी स्वामित्व, पेशेवर क्षमता तथा अनुभव, वित्तीय स्थिति, विश्वसनीयता, तथा ऐसे संभावित

संभावित प्रतिनिधि द्वारा लागू भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के अनुपालन का इतिहास निर्धारित करने के लिए CommScope एक सम्यक तत्परता समीक्षा करेगा।

A. प्रतिनिधियों के साथ अनुबंध

बिक्री एजेंटों, संयुक्त उद्यम भागीदारों, सलाहकारों, पुनर्विक्रेताओं, वितरकों, अथवा CommScope की ओर से काम करने वाले दूसरे कारोबारी सहयोगियों समेत प्रतिनिधियों (घरेलू अथवा विदेशी) के साथ सभी अनुबंधों के लिए CommScope के विधायी विभाग (Legal Department) के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। लिखित अनुबंध के अभाव में CommScope द्वारा किसी प्रतिनिधि को कोई भुगतान नहीं किया जा सकता। जब तक विधायी विभाग (Legal Department) द्वारा लिखित में अन्यथा अनुमोदित न हो, सभी अनुबंधों में मानक रिश्वत-रोधी प्रावधान शामिल होंगे।

B. अनुमोदित प्रतिनिधियों की सतत निगरानी

CommScope द्वारा किसी प्रतिनिधि को कायम रखने के बाद, समुचित CommScope कर्मचारी (कर्मचारियों) को किसी भी भ्रष्टाचार-रोधी संकेतों अथवा सरोकारों के लिए प्रतिनिधि की चल रही गतिविधियों की निगरानी करते रहना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी जानता है अथवा उसे यथोचित रूप से यकीन हो कि किसी प्रतिनिधि द्वारा भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों द्वारा निषिद्ध कोई कीमती चीज़ CommScope के लिए अथवा उसकी ओर से दी जा चुकी है, दी जा रही है, या दी जा सकती है अथवा उसका वादा या परिदान किया जा सकता है, तो वह कर्मचारी CommScope के विधायी विभाग (Legal Department) को तुरंत सूचित करेगा तथा कीमती चीज़ के वादे या परिदान को रोकने के लिए सभी तर्कसंगत प्रयासों का इस्तेमाल करेगा।

XII. विलय एवं अधिग्रहण

CommScope की कारपोरेट कार्यनीति के अनुसरण में, कंपनी विलय या अधिग्रहण गतिविधि में शामिल हो सकती है। कंपनी जब भी किसी कारोबारी संस्था के अधिग्रहण का अनुसरण करती है, तो प्रस्तावित अधिग्रहण से जुड़ी सम्यक तत्परता प्रक्रिया में लागू भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के साथ अधिग्रहण लक्ष्य के अनुपालन के संबंध में सम्यक तत्परता जांच शामिल होगी। महा परामर्शदाता (General Counsel) विनिर्दिष्ट करेगा कि ऐसी तत्परता के दौरान कौन सी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए तथा तत्परता के लिखित परिणामों की समीक्षा एवं अनुमोदन करेगा। लेन-देन का अनुमोदन करने के बाद, समुचित भ्रष्टाचार-रोधी अनुपालन नीतियों एवं आंतरिक नियंत्रणों को CommScope लागू करेगा, अथवा, अल्पसंख्यक निवेशों के मामले में, अल्पसंख्यक-स्वामित्व वाली संस्था को ऐसी नीतियों एवं नियंत्रणों को अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उचित प्रयास करेगा।

XIII. संयुक्त उपक्रम

यह कंपनी जब भी किसी संयुक्त उद्यम के जरिए काम कराने का चयन करती है, तो CommScope संभावित संयुक्त उद्यम भागीदार या भागीदारों की प्रतिष्ठा, लाभकारी स्वामित्व, पेशेवर क्षमता तथा अनुभव, वित्तीय स्थिति, विश्वसनीयता, तथा ऐसे संभावित संयुक्त उद्यम भागीदार या भागीदारों द्वारा लागू भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के अनुपालन का इतिहास निर्धारित करने के लिए सम्यक

तत्परता समीक्षा करेगा। महा परामर्शदाता (General Counsel) या उसका कोई नामिती विनिर्दिष्ट करेगा कि ऐसी तत्परता के दौरान कौन सी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए तथा तत्परता के लिखित परिणामों की समीक्षा एवं अनुमोदन करेगा। इसके अतिरिक्त, महा परामर्शदाता (General Counsel) या उनके नामिती यह सुनिश्चित करेंगे कि वह संयुक्त उद्यम कोई समुचित भ्रष्टाचार-रोधी अनुपालन कार्यक्रम लागू करता है तथा समय-समय पर यह समीक्षा करेगा कि अनुपालन कार्यक्रम पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित रूप से डिज़ाइन एवं लागू किया गया है।

XIV. लेखांकन के अभिलेख

A. सटीक बहियाँ एवं अभिलेख

CommScope को बहीखाते, अभिलेख एवं खाते बनाने तथा रखने चाहिए, जो समुचित विवरण एवं समयबद्ध तरीके से कंपनी की लेन-देन तथा उसकी संपत्तियों के निपटान को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हों, भले ही लेन-देन या निपटान का प्रयोजन अथवा आकार कुछ भी हो।

सटीक बहियां एवं अभिलेख कायम रखने के लिए, कर्मचारियों को कारोबारी अभिलेख बनाने चाहिए, जिसमें रोजनामचा प्रविष्टियाँ एवं व्यय रिपोर्ट शामिल हैं, जो लेखांकन अभिलेख में अंतर्निहित लेन-देन या घटना के सही सारांश को सटीक रूप से दर्शाती हों। कर्मचारी किसी भी कारण से CommScope के लेखांकन अभिलेखों में कोई गलत अथवा भ्रामक प्रविष्टि नहीं कर सकते। निषिद्ध आचरण के उदाहरणों में ऐसे अभिलेख बनाना शामिल हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को भुगतान दिखाने के लिए अभिलेख तैयार किए जाएं, जबकि वह भुगतान किसी और को किया गया था, गलत या अशुद्ध चालान या व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अथवा ऐसे अभिलेख बनाना जो लेन-देन या भुगतान की वास्तविक प्रकृति को गलत तरीके से दर्शाते हों। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को दर्ज न किए गए खुदरा रोकड़, "ऑफ-द-बुक" खातों, या "स्लश फंड" को नहीं बनाना चाहिए या उनसे भुगतान नहीं करना चाहिए।

कर्मचारियों को अनुबंधों समेत केवल ऐसे प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने चाहिए, जिनके बारे में उन्हें यकीन हो कि वे सटीक एवं सत्य हैं तथा यह कि वह कर्मचारी CommScope की प्राधिकरणों की अनुसूची में यथा वर्णित अनुसार हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हो।

B. आतंरिक नियंत्रक

CommScope ऐसे तर्कसंगत आश्वासन देने के लिए कि दूसरी बातों के अतिरिक्त, लेन-देन अमूमन स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दर्ज और रिपोर्ट किए जाते हैं, पर्याप्त आंतरिक लेखा नियंत्रण की एक प्रणाली तैयार करेगा तथा उसे कायम रखेगा।

C. अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

CommScope, सदाशयता से तथा परिस्थितियों के तहत उचित सीमा तक, किसी भी संस्था पर जिसमें CommScope के पास संस्था की वोटिंग शक्ति का 50% या उससे कम हो, अपने प्रभाव

का इस्तेमाल करेगा, जिससे उस संस्था को उचित अभिलेख एवं आंतरिक लेखा नियंत्रण कायम रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

XV. भ्रष्टाचार-रोधी नियंत्रण

A. Training (प्रशिक्षण)

CommScope अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से भ्रष्टाचार-रोधी प्रशिक्षण देता है। कंपनी की अपेक्षा हो सकती है कि उसके कर्मचारी रिश्वत-विरोधी कानूनी अपेक्षाओं, CommScope की आचारनीति एवं कारोबारी आचार संहिता, तथा इस नीति के संबंध में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों या व्यक्तिगत- कार्यक्रम में भाग लें।

B. अनुपालन का प्रमाणन

बिक्री तथा वित्त कर्मियों एवं प्रतिनिधियों तथा दूसरे कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों को महा परामर्शदाता (General Counsel) या उसके नामित व्यक्ति द्वारा यथा निर्धारित अवधि पर, जो वार्षिक से कम नहीं होगा, इस नीति समेत CommScope की नीतियों, तथा CommScope की नीतियों के किसी भी ज्ञात अथवा संदिग्ध उल्लंघन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महा परामर्शदाता (General Counsel) द्वारा निर्धारित एक प्रमाणन पूरा करना होगा। महा परामर्शदाता (General Counsel) या उसका नामिती प्रमाणन के प्रारूप, प्रमाणन कौन प्राप्त करेगा, तथा प्रमाणन की कितनी बार जरूरत होगी, इसका निर्धारण करेगा। महा परामर्शदाता (General Counsel) या उसका नामिती, किसी भी प्रतिकूल प्रश्नावली के उत्तरों की समीक्षा करेंगे तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, जिसमें यथा जरूरत कोई औपचारिक जांच करना भी शामिल है।

C. लेखा परीक्षा

अपने चार्टर के अनुरूप तथा CommScope की लेखापरीक्षा समिति के निदेश के अनुसार, यह कंपनी CommScope के लिए कोई लेखापरीक्षा कार्यक्रम कायम रखेगी, जो अन्य बातों के अतिरिक्त, CommScope नीतियों एवं लागू कानूनों, जिसमें यह नीति और भ्रष्टाचार-रोधी कानून शामिल हैं, के उल्लंघन का पता लगाने के लिए डिज़ाइन की गई निगरानी एवं लेखापरीक्षा प्रणाली शामिल है। विधायी विभाग (Legal Department), दूसरी बातों के अतिरिक्त, इसके अनुपालन एवं अनुपालन-संबंधी दूसरी नीतियां को मापने के लिए, जैसा समुचित हो, चुनिंदा लेखापरीक्षा में आंतरिक लेखापरीक्षा के साथ भाग लेगा।

D. रिपोर्टिंग

कोई भी कर्मचारी जिसे इस नीति के किसी भी प्रावधान के संभावित उल्लंघन की जानकारी या संदेह हो, उसे तुरंत अपने पर्यवेक्षक या प्रबंधक, स्थानीय मानव संसाधन विभाग (Human Resources Department), कारपोरेट मानव संसाधन विभाग (Corporate Human Resources Department), सुविधा नैतिकता अधिकारी (Facility Ethics Officer), या विधायी विभाग (Legal Department) के किसी वकील को अपने सरोकार की सूचना देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस

नीति के किसी भी संदिग्ध अथवा संभावित उल्लंघन के बारे में कर्मचारी इस कंपनी को ethics@commscope.com पर कोई ईमेल भेजकर सूचित कर सकते हैं अथवा CommAlert का इस्तेमाल कर सकते हैं। CommScope किसी ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध बदले का सख्त निषेध करता है, जो किसी कानून या कंपनी की नीति के ज्ञात अथवा संदिग्ध उल्लंघन की सदाशयता से रिपोर्ट करता है।

E. अनुशासन

CommScope किसी भी ऐसे कर्मचारी को अनुशासित करेगा, जो इस नीति अथवा लागू किसी भी भ्रष्टाचार-रोधी कानून का उल्लंघन करता है। इस नीति और/अथवा लागू भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का पालन करने में असफलता को घोर कदाचार माना जाएगा तथा यह CommScope की संगत साइट अथवा देश की अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार बर्खास्तगी या दूसरी अनुशासनिक कार्रवाई का आधार होगी। भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के उल्लंघन कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत आपराधिक एवं नागरिक दायित्वों के भागी भी बना सकते हैं, जिसमें दूसरी बातों के अतिरिक्त, संभावित प्रतिबंध, नागरिक एवं आपराधिक जुर्माने एवं दंड, तथा क़ैद शामिल हैं।

XVI. प्रशासन

इस नीति की सामग्री तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा के लिए महा परामर्शदाता (General Counsel) या उसका नामित व्यक्ति जिम्मेदार है।

XVII. प्रश्न

इस नीति के बारे में किसी भी प्रश्न को इस पते पर भेजा जा सकता है: ethics@commscope.com।

प्रश्नों को CommScope के महा परामर्शदाता (General Counsel) अथवा विधायी विभाग (Legal Department) के किसी सदस्य को निजी तौर से भी भेजा जा सकता है।